न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 70/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बजरंग लाल पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी बरनाला

--प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

--अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 24-6-25

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1006/2320 रकबा 0.08 है0, 1008/2319 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम बरनाला तहसील बरनाला व अन्य भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रार्थी ही उपयोग व उपभोग व काश्त कर सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि से किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कोई संबंध, ताल्लुक या वास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी उक्त भूमि की डौल मेड के संबंध में पड़ौसी खातेदारों से आये दिन विवादों का सामना करना पड़ता है तथा पडौसी खातेदार प्रार्थी की डोल मेड़ को ध्वस्त करके प्रार्थी की भूमि को दबाने की नीयत रखते है। आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्ट्रिगत प्रार्थी प्रार्थना पत्र इके मद संख्या 01 में वर्णित अपनी आराजियात् का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थी को अपनी ही भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना न करना पड़ें। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 16.06.2025 को तहसीलदार बरनाला से पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया, किन्तु उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर खसरा नम्बर 1006/2320 रकबा 0.08 है0, 1008/2319 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम बरनाला तहसील बरनाला की पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ते के करायें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमावंदी एवं तहसीलदार बरनाला की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम बरनाला पटवार मण्डल बरनाला भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1006/2320 रकबा 0.08 है0, 1008/2319 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम बरनाला तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली का

Scanned with CamScanner

अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बरनाला पटवार मण्डल बरनाला भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1006/2320 रकबा 0.08 है0, 1008/2319 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 1006/2320 रकबा 0.08 है0, 1008/2319 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम बरनाला तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक बरनाला को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक बरनाला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner